

Date-13/09/2017

General Instruction for Bid Planning & Submission

संदर्भ :- हरिभूमि, रायपुर में दिनांक 09/09/2017 एवं हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में दिनांक 10/09/2017 को प्रकाशित विज्ञापन।

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रस्तावित कालोनी प्लॉट नं 16, सेक्टर-12 में कमल विहार योजना रायपुर के लिए ई. ओ. आई अगस्त 2015 के आधार पर वास्तुविदीय एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु मण्डल में पंजीबद्ध सभी ए-श्रेणी के वास्तुविदों/फर्मों/कंपनियों से निम्नानुसार तकनीकी एवं वित्तीय ऑफर, आमंत्रित किये जाते हैं। (द्वितीय आमंत्रण)

कं.	योजना का नाम	भूमि रकबा लगभग	योजना की अनुमानित निर्माण लागत	बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म/कम्पनी मण्डल में बिड जमा करने की तिथि तक पंजीबद्ध (for Architecture. & Engineering Services.)	विज्ञापन क्रम प्रस्तावित
1.	प्रस्तावित आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 16, सेक्टर-12 कमल विहार योजना रायपुर। LIG(P+8), EWS(G+3).	31210.0 वर्ग मीटर	50.5 करोड़	ए-श्रेणी	2 nd call

- समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति संलग्न है।
- सर्वे प्लान की Auto CAD File संलग्न है।
- बिड जमा करने की तिथि दिनांक **04/10/2017** समय शाम 5.00 बजे तक। बिड व्यक्तिगत/स्पीडपोस्ट/कोरियर सर्विस द्वारा स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नया रायपुर में जमा किया जावे।
- तकनीकी बिड दिनांक **06/10/2017** समय 12.30 बजे से स्थान मुख्यालय, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, पर्यावास भवन नया रायपुर में खोला जावेगा। बिड ओपनिंग के समय बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म/कंपनी स्वयं या उनके प्रतिनिधि आमंत्रित है।
- बिड 03 बंद लिफाफों में 1) तकनीकी ऑफर, 2) वित्तीय ऑफर एवं 3) बिड सिक्युरिटी राशि रु. 1.0 लाख (रुपये एक लाख मात्र) तथा प्रोसेस फीस राशि रु. 5,000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) का डी. डी. जमा करें। तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बंद कर जमा करें।
- यदि अनुभव हो तो तकनीकी बिड के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, ड्राइंग एवं फोटोग्राफ of Completed work of RCC Monolithic Residential Multistoreyed Flats work Similar type का जमा किया जावे।
- इस योजना के लिए प्रोसेस फीस एवं बिड सिक्युरिटी राशि (उपरोक्तानुसार) की डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
- बिड सिक्युरिटी राशि को इस योजना के लिए चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के समय

समायोजित किया जायेगा व बिड में भाग लिए अन्य कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।

- जमा करने की तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त ऑफर (बिड) स्वीकार नहीं किये जावेंगे। यदि बिड जमा करने की निर्धारित दिनांक या बिड खोलने की दिनांक के दिन में अवकाश होने पर बिड आगामी कार्य दिवस को जमा/खोली जायेगी।
- तकनीकी बिड खोलने के पश्चात प्रेजेन्टेशन होगा जिसके लिए पृथक से तिथि निर्धारित कर सूचित किया जायेगा।
- T1, T2, T3 चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनियों का वित्तीय ऑफर बाद में खोला जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी। वित्तीय ऑफर निम्न तालिका फार्मेट अनुसार तैयार कर बिड के साथ बंद लिफाफे में जमा करें।
- Formet of Financial Offer

Financial Offer

Sub:- Proposed Residential Colony in Plot no. 16 of Sector -12 Kamal Vihar Yojna at Raipur for LIG (P+8) and EWS (G+3) for CGHB. (2nd Call)

Ref.- EOI Advt.- dt. 09/09/2017 Haribhoomi, Raipur & dt. 10/09/2017 Hindustan Times, Delhi News Paper & Uploaded in CGHB website.

For above project my/our firm/co's financial offer is -----% Below total fees for the Project as per Rate of EOI 2015 Clause no. 7.5 for the Architectural & Engineering Services.

(It shall be in Letterpad of Architect/Firm/Company)

Signature of Arch./firm/co.
(Authorised Person)

- Financial Offer उपरोक्त Format अनुसार ही जमा करें, यदि T1, T2 & T3 का वित्तीय ऑफर सूचना अनुसार दिनांक पर खोलते समय यदि किसी वास्तुविद/फर्म का वित्तीय ऑफर Format अनुसार नहीं पाया जाता है तो उस वास्तुविद/फर्म का Financial Bid निरस्त माना जायेगा।
- यह योजना T&CP नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए, पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कॉनसेप्ट, वाटर हार्वेस्टिंग, Landscaping work, Compound wall Gate, सर्व सुविधायुक्त आदि का समावेश किया जाना चाहिए।

Technical Bid Requirement.

1. LIG FLATS - Still + 8 Storyed
One Unit - Carpet Area = 45 m²
2BHK Flats.
2. EWS Flats - G+3 Storyed
One Unit - Carpet Area = 30m²
(One bed + Kitchen + 1 Drg. Room)
3. Shop cum Community Hall + Residential Complex (One/Two block of LIG flats still + 8 may be kept for this.)

In this block-

Gr. Fl. - Shops.

First. Fl. - Community Hall.

Other Fl. - Residential Flats

OR Seprerate Convenience shop & Community Hall can be proposed.

4. All Plan to be prepared with wall thickness needed for RCC monolithic construction work as per your design concept.

Required for submission.

- All bldgs - (Presentable drg.)
 - Gr. Fl. Plan .
 - Typical Fl. Plan
- Note:- dimension shall be in M & Ft. both unit.
- Section.
- 3D View.
- Bird eye view of colony.
- Walk through optional.
- All A-3 Size Coloured Drgs shall be submitted.
- Layout Plan - With all Facility of Campus as per Norms of T&CP CG.
- FAR for Residential - 1.5 (full FAR to be utilized)
- FAR for Commercial - 2.5 (full FAR to be utilized)

Special Notes:- Architect/Firm/Co. has to take approval proof check of all RCC Design prepared by them from IIT. (Fees for proof checking of Rcc Design from IIT& Layout Approval from T&CP and other approval from govt., board will pay seperatly for it)

- यह कार्य RCC Monolithic Construction तकनीकी से किया जाना प्रस्तावित है। अतः जो वास्तुविद/फर्म/कंपनी RCC Monolithic Construction आवासीय बहुमंजिला भवन हेतु प्लानिंग डिजाइनिंग कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग-2, रायपुर से 094242-09041 एवं मंडल मुख्यालय के वास्तुविद से मो. न. 094242-09010 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- योजना प्लानिंग करने के पूर्व स्थल का निरीक्षण अवश्य करें। स्थल निरीक्षण हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग-2, छ. ग. गृ. नि. मं. शंकर नगर रायपुर से मोबाइल नं. 094242-09041 में संपर्क करें।
- विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेंगे। (Postal delay will not be considered)
- इस योजना के लिए एवार्ड ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 के दस्तावेज के 7.4 बिन्दु के विधि अनुसार वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जायेगा।
- इस योजना के लिए मंडल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद/फर्म/कंपनियों को भुगतान किया जावेगा। इस बाबत् अन्य नियम, शर्तें, ई.ओ.आई 2015 मे दिए गये अनुसार ही होगा।



वास्तुविद
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, नया रायपुर